न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 6/2012 (बांसवाड़ा आर्डर)

वजेंग पिता श्री रूपला, जाति भील, निवासी पाड़ला, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (मृतक) के वारिसान :–

1. प्रकाश पिता श्री वजेंग, जाति भील, निवासी पाड़ला, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. विष्णु पिता श्री वजेंग, जाति भील, निवासी पाड़ला, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. आम्बा पिता श्री राजेंग, जाति भील, निवासी पाड़ला, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (मृतक) के वारिसान :–

1/1. नानूराम पिता श्री आम्बा, जाति भील, निवासी पाड़ला, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/2. भोगीलाल पिता श्री आम्बा, जाति भील, निवासी पाड़ला, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/3. श्रीमती कान्ता पुत्री श्री आम्बा पत्नी श्री सावरीया, जाति भील, निवासी पाड़ला, तहसील घाटोल, हाल अवर, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

1/4. श्रीमती कचरी पुत्री श्री आम्बा, जाति भील, निवासी पाड़ला, हाल कानड़ा, तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/5. श्रीमती गीता पुत्री श्री आम्बा भील, जाति भील, निवासी पाड़ला, तहसील घाटोल, हाल अवर, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

1/6. इन्दिरा पुत्री श्री आम्बा, जाति भील, निवासी पाड़ला, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

2. अर्जुन पिता श्री राजेंग, जाति भील, निवासी पाड़ला, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. श्रीमती जानकी बेवा श्री राजेंग, जाति भील, निवासी पाड़ला, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. भूमिधारी तहसीलदार, घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा
दिनांक 28–10–2009, प्र॰सं॰ 78 / 08

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री हीरालाल जैन अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट 1 से 3
3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4

———::———

निर्णय **दिनांक 07–02–2018**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट / प्रार्थी द्वारा दिनांक 09–05–2012 को आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण संख्या 78 / 2008 में एकतरफा डिक्री दिनांक 28–10–2009 को जो पारित की गयी है, उसे अपास्त किया जावे। उक्त आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. आवेदन के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन व शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

अधिनस्थ न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र के प्रस्तुति के बाद दिनांक 17–05–2012 को अधिनस्थ न्यायालय में जांच रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत हुई :–

''निवेदन है कि वादपत्र पर निर्धारित कोर्ट फीस चस्पा है। वाद श्रीमान् के क्षेत्राधिकार का है लेकिन वाद में वर्णित भूमि एवं तथ्यों के संबंध में पूर्व में इसी न्यायालय में मुकदमा नंबर 78 / 2008 दायर होकर निर्णय दिनांक 28–10–2009 को पारित हो चुका है। ऐसी अवस्था में यह मामला इसी अदालत में दायर नहीं हो सकता है तथा यदि पुनरावलोकन भी किया जाये तो निर्धारित मयाद एक माह की समाप्त हो चुकी है। अतः आदेशार्थ प्रस्तुत है।''

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दिनांक 17–05–2012 को ही ''पक्षकार को सूचित किया जावे'' अंकित करने का आदेश पारित कर दिया,

जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18–06–2012 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री यशपाल गुप्ता ने अपनी उपस्थिति दी तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः वक्त बहस दोहराया अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने कार्यालय टिप्पणी के आधार पर अपीलान्ट/आवेदक को बिना सुने आवेदन निरस्त कर दिया। अपीलान्ट द्वारा एकतरफा डिक्री को अपास्त किये जाने के आवेदन के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन भी पेश किया गया था। प्रार्थी ने कोई वाद पेश नहीं किया है न ही पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने नासमझ रीडर की टिप्पणी के आधार पर बिना माईन्ड एप्लाई किये अपीलान्ट/आवेदक का आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का आवेदन खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड तथा उभयपक्ष की बहस व अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलान्ट ने दिनांक 28–10–2009 को एकतरफा जारी डिक्री को अपास्त किये जाने का आवेदन दिनांक 09–05–2012 को पेश किया था एवं उक्त आवेदन के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन व शपथ पत्र भी पेश किया था। अधिनस्थ न्यायालय में जांचकर्ता न्यायालय कार्मिक द्वारा टिप्पणी की दी की यह मामला इस अदालत में पुनः दर्ज नहीं किया जा सकता तथा यदि पुनरावलोकन भी किया जाये तो निर्धारित मयाद एक माह समाप्त हो चुकी है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कार्यालय टिप्पणी को अपना निर्णय मानकर पक्षकारान को सूचित किये जाने का आदेश पारित कर दिया। स्पष्टया अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष को वाद प्रस्तुत नहीं हुआ था तथा पूर्व में पारित एकतरफा डिक्री को अपास्त किये जाने का आवेदन दफा 5 जाब्ता मियाद के आवेदन के साथ सशपथ प्रस्तुत किया गया था तथा उक्त आवेदन पुनरावलोकन का भी आवेदन नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का एकतरफा पारित डिक्री को निरस्त कराये जाने का था, जिसके साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन भी सशपथ प्रस्तुत किया गया था तो अधिनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण की सुनवाई के लिए क्षेत्राधिकार निसंदेह विहित है तथा अधिनस्थ न्यायालय को ऐसे प्रकरण में मयाद के बिन्दु पर तथा गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था। न्यायालय कार्मिक की अविवेकी टिप्पणी पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपना विवेक अनुप्रयोग किये जो निर्णय पारित किया है, वह विधि अनुकूल नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28–10–2009 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में सर्वप्रथम मयाद के बिन्दु पर सुनवाई कर तद्नुसार उक्त प्रकरण में यदि मयाद कण्डोन योग्य पायी जाये तो प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 09–04–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 07–02–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर